संख्या: 393 / XXIII/09/64/2008

प्रेषक,

वी0 आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादून: दिनांक: 24 अप्रैल, 2009।

विषय :- अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान की धनराशि व्यय हेतु आबकारी आयुक्त के निवर्तन में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 205(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के 04 माह (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लिये) के लेखानुदान हेतु 03-अधिष्ठान मद के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में आवंटित धनराशि में से रुपये 11,67,000/- (रुपये ग्यारह लाख सढ़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के तहत व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	मद	धनराशि (हजार रुपये में)
01.	04 - यात्रा व्यय	17
02.	05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
03.	07 - मानदेय	3
04.	08 - कार्यालय व्यय	167
05.	11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	83
06.	12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67
07.	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	83
08.	18 - प्रकाशन	50
09.	19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	133
10.	23 - गुप्त सेवा व्यय	67
11.	25 - लघु निर्माण कार्य	33
12.	26 - मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	133
13.	27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67
14.	29 - अनुरक्षण	67
15.	42 - अन्य व्यय	40
16.	44 - प्रशिक्षण व्यय	20
17.	45 - अवकाश यात्रा व्यय	7
18.	46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33
19.	47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67
	योग :-	1167

2. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. मासिक व्यय विवरण बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमश:......2

4. व्यय करते समय शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय मे निर्गत आदेश, स्टोर परचेज रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय की मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–08 के लेखा शीर्षक 2039–राज्य उत्पादन शुल्क, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–अधिष्ठान के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205 (1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अर्द्धशासकीय संख्या 26NP/XXVII(5)/2009 दिनांक 21.04.2009 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

बी0 आर0 टम्टा
अपर सचिव

संख्या: 3330/XXIII/09/64/2008 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव